राष्ट्रीय लोक अदालत –2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 2023/22 — निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. राकेश सुमन उर्फ राकेश कुमार पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी जांगलियाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादीगण की ओर से स्वय।

प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को प्रस्तुत हुआ प्रकरण में तहसीलदार कनवास की ओर से प्राप्त जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जवाब सरकार अनुसार वादनी ने ग्राम जांगलिया की आराजी ख़ाता नया 61 कुल किता 12 कुल रकबा 4.31 है0 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम राकेश कुमार पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/5 जाति माली सा देह के स्थान पर राकेश सुमन पुत्र रामनाथ जाति माली सा देह दर्ज करवाने हेतु वाद दायर किया है वादी का नाम आधार कार्ड व बैंक खाता पास बुक में राकेश सुमन पुत्र रामनाथ दर्ज है अतः वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने पर राजस्व रिकार्ड में नाम राकेश कुमार पुत्र रामनाथ जाति माली सा देह के स्थान पर राकेश सुमन पुत्र रामनाथ जाति माली सा देह किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

अतः जवाब सरकार के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के अनुसरण में ग्राम जांगलिया की आराजी खाता नया 61 कुल किता 12 कुल रकबा 4.31 है0 के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्रसं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि जो आदेश के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है।
1	ग्राम जागंलियाहेडी पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास	61	राकेश कुमार पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/5 जाति माली सा देह	राकेश सुमन पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/5 जाति माली सा देह

निर्णय अनुसार अतिंम डिकी जारी की जावे । निर्णय आज दिनांक **11.02.2023** को राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में मजमे आम सुनाया गया

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या 2023/22 **निर्णय दिनांक 11.02.2023**

बउनवान

1. राकेश सुमन उर्फ राकेश कुमार पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी जांगलियाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से स्वय।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

मुकदमा नं. **2023/22** सन **2022** तारीख फैसला **11.02.2023 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी श्री स्वयं **वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जांगलिया की आराजी खाता नया 61 कुल किता 12 कुल रकबा 4.31 है0 में राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नाम राकेश कुमार पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/5 जाति माली सा देह के स्थान पर राकेश सुमन पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/5 जाति माली सा देह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11.02.2023** माह **फरवरी 2023** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	....	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner